न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 119 / 2025(GCMS 2025/482)
(RTI No. 212456071932305)

श्री राजकुमार ceo anupma, ngo बी ब्लॉक गांधी पार्क के पास, पोस्ट ऑफिस श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)–335073 (मोबाईल [illegible]11–82966)
Email Id -rajkumarkaranpur@gmail.com

बनाम

तहसीलदार (राजस्व), विजयनगर

11.02.2026

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राजकुमार स्वयं उपस्थित हुए नहीं हुआ पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने अपने प्रार्थन पत्र दिनांक 03.10.2025 से तहसीलदार (राजस्व), श्रीविजयानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत चाही थी, जो सहायक लोक सूचना अधिकारी ने उसे उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने हेतु यह अपील पेश की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री राजकुमार को पोस्ट ऑफिस की रजिस्टर्ड डाक से जारी किया गया था जो Missed की रिपोर्ट के साथ प्राप्त हुआ है। अपीलार्थी श्री राजकुमार न ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 03.10.2025 के द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, विजयनगर से सूचना चाही थी, जिसकी प्रति पत्रावली में उपलब्ध नहीं है।

तहसीलदार(राजस्व), श्रीविजयनगर ने अपने पत्रांक रीडर / 2025 / 984 दिनांक 19.01.2026 से अवगत से अवगत करवाया है कि उनके द्वारा अपने पत्र दिनांक 02.01.2026 से प्रार्थी को सूचना भिजवाई जा चुकी है। और तहसीलदार (राजस्व), श्रीविजयनगर ने अपने पत्रांक रीडर / 2025 / 931–932 दिनांक 02.01.2026 से प्रार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है :

> उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा सूचना के अधिकार के तहत सूचना चाही गई हैं उक्त सूचना इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं हैं सूचना के अधिकार के तहत चाही गई सूचना प्रश्नात्मक व खोज कर खोजे गये तथ्यों पर आधारित है। आपके सम्बन्धित प्रश्नों का जवाब चाहा है। जो कि सूचना के अधिकार अधि[illegible] क[illegible]धि क्षेत्र से परे है। सूचना जिस कदर संधारित है उसी रूप में [illegible]सकती है। लोक सूचना अधिकारी का सूचना सृजित कर [illegible] का दायित्व नहीं है। सूचना को संकलित कर दिये जाने का प्र[illegible]न नहीं है। रिपोर्ट प्रेषित है।

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.03.18 12:31:05 IST
Reason: SelfAttested

अपील सूचना का अधिकार संख्या 119/2025
(GCMS No. 2025/480)
(RTI No. 212456071932305)
राजकुमार बनाम तहसीलदार (राजस्व), विजयनगर

सहायक लोक **सूचना** अधिकारी **एवं** तहसीलदार (राजस्व), श्रीविजयनगर ने अपीलार्थी को उक्तानुसार जवाब दिया है। **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005** की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है **जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है, जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए।** सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। **लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है।** सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। **इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है।** इसलिए **सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), श्रीविजयानगर ने** अपील का जो जवाब दिया है, वह सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। **आदेश की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), श्रीविजयनगर को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।** पत्रावली बाद तरतीब़ तकम़ील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक [illegible]1.02.2026 को [illegible] लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.03.18 12:31:05 IST
Reason: SelfAttested

Manju
(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर